न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 83/2023(GCMS No. 2023/)

1. **रामकुमार** उर्फ रामू पुत्र किशन लाल जाति सोनी निवासी वार्ड नं. 18, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

बनाम

1. **किशन लाल सोनी** पुत्र श्री लाजपत राय सोनी उम्र 60 वर्ष निवासी मकान नं. 615, एसएसबी रोड़, गली नं. 7, चक 3 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **रोहित कुमार** पुत्र किशन लाल जाति सोनी निवासी एसएसबी रोड़, गली नम्बर 6, नजदीक राम रहीम डेरा, चक 3 ई छोटी, निवासी एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर
3. **रमेश सोनी** पुत्र किशन लाल सोनी जाति सोनी निवासी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भैंस डाकला ब्लॉक, करवड, उदयपुर (राजस्थान)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.06.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2023 से अपीलार्थी रामकुमार को को 3000/- प्रति माह अपने पिता अप्रार्थी संख्या 01 किशन लाल सोनी को अदा करने एवं सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने एव तंग पेरशान करने से निषेध रहने के आदेश विधि विरूद्ध दिये गये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 के पास स्वयं का आलीशान मकान वार्ड संख्या 18, पीलीबंगा में है, जो उसने अपनी पत्नी गीता को गिफ्ट किया हुआ है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसकी ओर ध्यान न दिया जाकर बहुत बड़ी भूल की है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी के तीन बच्चे हो, जिनकी पढ़ाई का खर्चा भी अपीलार्थी द्वारा बडी मुश्किल से उठा पा रहा है, इसके अलावा अपीलार्थी ने बैंक से लोन भी ले रखा है। अपीलार्थी बी पी का पेशेन्ट है, जिसकी प्रतिमाह आय 5000/– रूपये से अधिक नहीं है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 1, रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के प्रभाव में है, जिनके कहने पर ही उसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 अपीलार्थी के भाई है, इन दोनों पर अपीलार्थी की पत्नी सुमन के साथ मारपीट व घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा कर रखा है, जो अभी तक विचाराधीन है रेसपोडेंट संख्या 1 से 3 राजीनामा करने के लिये दबाव डाल रहे है व अपीलार्थी की पत्नी ने मना करने पर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर गौर नहीं किया गया, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज करने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को बेदखल भी 7–8 वर्ष से किया हुआ है, जिसकी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित है, ऐसी सूरत में वे अपने पुत्र से भरण पोषण की मांग करने के हकदार नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 अपनी पत्नी गीता देवी के साथ हाण्डा कॉलोनी, रायसिंहनगर में एक साथ निवास कर रहे है, वे गंगानगर में निवास नहीं करते है। इसलिए क्षेत्राधिकार के आधार पर भी उक्त प्रार्थना पत्र चलने लायक नहीं था, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 पूर्व में पीलीबंगा में निवास करता था, उसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 01 मकान संख्या 278 हाण्डा कॉलोनी, रायसिंहनगर में निवास कर रहा है, इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था। इसके अलावा रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसकी पत्नी गीता देवी द्वारा भरण पोषण संबंधी मुकदमा पीलीबंगा में भी पेश किया हुआ है, जिसके आदेशानुसार अपीलार्थी द्वारा 1500/— रूपये भरण पोषण प्रतिमाह रेस्पोडेंट संख्या—1 को अदा किया जा रहा है, इसलिए अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाकर, अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह अपील प्रार्थी रामकुमार उर्फ रामू ने पुत्र/भाई की हैसियत से अपने पिता किशन लाल सोनी पुत्र लाजपत राय सोनी एवं भाई रोहित कुमार एवं रमेश सोनी के विरूद्ध पेश की है। माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पुत्र/भाई को अपील पेश करने का कोई अधिकारिता **है अथवा नहीं?** धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> **धारा 16.अपील—**(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई **वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता**, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण— पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता—पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

परन्तु यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अविध की समाप्ति के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा संतान की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर. एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्द कुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099,

This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार कोई भी न्यायालय/सरकार/अथोरिटी किसी भी प्रभावी कानून के विपरीत जाकर कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं कर सकती है। चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है और न ही संतान या संबंधी के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है।

इसलिए अपीलार्थी ने पुत्र/भाई के रूप में दिनांक 22.12.2023 को प्रस्तुत की गई यह अपील एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, यहां से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर